न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या 132/2012

नाथूलाल पुत्र गोरधन जाति माली निवासी बोहत तह0 मांगरोल जिला बारां

.... वादी

♠ बनाम ♠

1. बाबूलाल } पुत्रान मथुरालाल जाति जाट निवासी बोहत तह0 मांगरोल
2. रमेश चन्द्र }
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,188 आर0टी0एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील वादी : श्री लिहाज हुसैन अंसारी
वकील प्रतिवादी : श्री आर0एस0नागर
दायरा दिनांक: 31.07.2012

निर्णय दिनांक : 30.08.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के शामलाती खाते की आराजी ग्राम बोहत के साबिक खाता सख्या 161 खसरा नं0 652 रकबा 13 बिस्वा खसरा नं0 653 रकबा 17 बिस्वा खसरा नं0 654 रकबा 1 बिस्वा खसरा नं0 655 रकबा 1 बीघा खसरा नं0 664 रकबा 18 बिस्वा खसरा नं0 706 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा खसरा नं0 1019 रकबा 24 बीघा 7 बिस्वा खसरा नं0 1022 रकबा 29 बीघा 11 बिस्वा खसरा नं0 1023 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा खसरा नं0 1024 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा खसरा नं0 1377 रकबा 2 बिस्वा खसरा नं0 1379 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 12 रकबा 68 बीघा 4 बिस्वा स्थित है। जिसमें तुलसीराम काशीराम पुत्र पन्ना ग्यारसी बेवा पन्ना हिस्सा 1/3 नाथू पुत्र गोरधन जमनी बेवा गोरधन हिस्सा 1/3 नाथी पुत्री मिश्रा हिस्सा 1/3 नियत है। वादी पुर्व से ही हिस्सा 1/3 पर काबिज काश्त चला आ रहा है। सेटलमेंट के बाद नये खसरा नम्बरान किता 13 रकबा 11.03 है0 कायम किये गये जिसमें वादी का हिस्सा 10/33 है। वादी व शहखातेदारान के मध्य बंटवारा पूर्व में हो चुका था जिसमें वादी के हिस्से में खसरा नं0 1034 रकबा 0.11 है0 खसरा नं0 1035 रकबा 0.60 है0 हिस्से में आये है। उक्त दोनो खसरा नम्बरान 706 से बने हुए है, जो पूर्व में 4 बीघा 15 बिस्वा था उसके बाद रास्ता है रास्ते के बाद प्रतिवादीगण की आराजी स्थित है लेकिन सेटलमेंट विभाग ने साबिक खसरा नं0 706 के मौके की स्थिति व कब्जा देखे बिना ही उक्त खसरा नं0 706 पर नक्शे में परिवर्तन करते हुए 1032 रकबा 0.24 है0 प्रतिवादी नं0 1 व 2 के खाते में दर्ज कर दिया है जबकि खसरा नं0 1032 पर कभी भी प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

[illegible] का कब्जा नही रहा है। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की सादर डिक्री पारित की [illegible] मौके की स्थिति व कब्जे के अनुसार खसरा नं0 1032 वादी के खाते में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पूर्व साबिक नजरी नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शे को संशोधित करते हुए पूर्व नक्शे के अनुसार साबिक नक्शा दुरूस्त किया जावें तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की [illegible] काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना की जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2017/18 दिनांक 28.06.2017 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें अंकन किया कि ग्राम बोहत की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 के खाता संख्या 451 पर बाबूलाल रमेश चन्द पुत्र मथुरालाल जाट निवासी बोहत रहन एचकेजीबी शाखा बोहत हिस्सा बाबूलाल रहन यूको बैंक शाखा बारां हिस्सा रमेश चन्द्र के खाते खसरा नं0 1032 रकबा 0.24 है0 सहित कुल किता 6 रकबा 1.13 है0 कृषि भूमि दर्ज है। ग्राम बोहत की आराजी खसरा नं0 1032 रकबा 0.24 है0 पर मांगीलाल पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी बोहत का कब्जा पाया गया।

तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एव संलग्न दस्तावेजो के अध्ययन के आधार पर प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गयी वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि खसरा नं0 1032 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम बोहत पर वादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही काश्त करते आ रहे है बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया रास्ता कायम करने से खसरा नं0 1032 रास्ते के दूसरी तरफ चले जाने से खसरे को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में विवादित खसरा नं0 1032 पर कब्जा काश्त वादी नाथूलाल व इनके वारिसान का होना बताया है प्रकरण में साक्ष्य स्वरूप गवाह मांगीलाल पुत्र नाथूलाल, शिवनारायण पुत्र गणेशराम माली निवासी बोहत व धन्नालाल पुत्र बिरधीलाल माली निवासी बोहत के बयान करवाये जिन्होने अपने बयानो मे बताया कि खसरा नं0 1032 रकबा 0.24 है0 पर नाथूलाल व इनके वारिसान का कब्जा काश्त पिछले 50 वर्षो से होना जाहिर किया।

हमने वाद के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। रेकार्ड का गवाहान के बयान एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के संबंध में परिक्षण किया गया जिससे हम इस निर्णय पर पहुचे है कि ग्राम बोहत के खसरा नं0 1032 रकबा 0.24 है0 पर कब्जा काश्त वादी नाथूलाल व उसकी मृत्यु के बाद इनके वारिसान पुत्र मांगीलाल वगै0 का रहा है। प्रतिवादीगणो द्वारा ना तो अस्थायी निषेधाज्ञा का विरोध किया तथा ना ही दावे का जवाब पेश किया तथा ना ही अस्थायी निषेधाज्ञा की अपील की गयी जबकि प्रतिवादीगणो के विरूद्ध दिनांक 09.06.2016 को ही एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। जिससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादी गणो ने दावे के पैरो को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है। प्रतिवादीगणो के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से तनकी बनाने की आवश्यकता नही है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

[illegible] ग्राम बोहत की सरहद में स्थित खसरा नं0 1032 रकबा 0.24 है0 जो प्रतिवादीगण बाबूलाल [illegible] पिता मथुरालाल कौम जाट के नाम अंकित है। को राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में वादी स्वं0 नाथूलाल पुत्र [illegible] माली निवासी बोहत के वारिसान पुत्र मांगीलाल पुत्र नाथूलाल जाति माली को खातेदार घोषित किया जाता है। यदि उपरोक्त खसरा नं0 पर बैंक इत्यादि से ऋण आदि लिया गया हो तो उसको चुकाने का दायित्व प्रतिवादीगणो का होगा।

तहसीलदार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 30.08.2017 को सरेईजलास मांगरोल में सुनाया गया ।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल